रिजवान अकबर हूसैन सैयद

बनाम

महमूद हूसैन और अन्य

मई 18, 2007

(डॉ.- अजीत पसायत और एस-एच- कपाड़िया जेजे-)

जमानत–जमानत रदद किया जाना–प्रतिपादित किया गया: जमानत का रददीकरण सामान्य क्रम में नहीं किया जाना चाहिए–तथ्यों पर, अपीलार्थी की जमानत रदद करने वाले विवादित आदेश में यह उल्लेख नहीं कि उसके द्वारा जमानत देते समय उस पर लगाइ ग विशिष्ट शतों का उल्लंघन किया गया– जमानत रदद करने के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया–धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

अपीलार्थी को कुछ अपराधों के लिए गिरफतार किया गया था। उसने जमानत याचिका दायर की। मुख्य मेट्रपोलिटेन न्यायालय ने 10000/- रुपये के मुचलके पर उसे जमानत पर रिहा करने का निदेर्श दिया। अपीलार्थी को वीपी रोड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के माध्यम से जमानत रदद करने के लिए एक आवेदन से संबंधित एक नोटिस दिया गया था, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक आवेदन के रूप में दर्ज किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार वह सुनवाई के लिए निधार्रित

तिथि यानी 24 अप्रेल 2006 को उपस्थित था। उसके मामले को अदालत कक्ष संख्या 9 में मद संख्या 52 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था व शाम लगभग 5 बजे तक केवल 30 मामलों की सुनवाई हुई थी। अदालत के एक अधिकारी से पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि उसका मामला अगले सप्ताह सूची बद्ध किया जा सकता है व इसलिए वह शाम करीब 5.15 बजे अदालत परिसर से चला गया। 25 अप्रेल 2006 को विवादित आदेश पारित कर दिया गया। वस्तुत अदालत के अधिकारी के बयान पर विश्वास करते हुए अपीलाथी द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया गया था जिसके द्वारा 28 अप्रेल 2006 को रजिस्ट्री में पूछताछ करने पर उसे बताया गया था कि 25 अप्रेल 2006 के आदेश द्वारा जमानत रदद कर दी गई।

इस अदालत में अपील करते हुए अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने जमानत रदद करने का कोइ कारण नहीं बताया जमानत देते समय विचारण न्यायालय में कोई शर्त निधार्रित नहीं की गई थी। जमानत देते समय विचारण न्यायालय एकल न्यायाधीश ने यह पाया है कि अपिलार्थी ने लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है तथा जमानत पर रिहा होने के बाद शिकायतकर्ता को धमकी दी थी।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने यह माना ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने जमानत रदद करने के लिए आवेदन की सुनवाई के समय अपीलार्थी की गैर उपस्थिति के लिए आपत्ति ली है। अपीलार्थी द्वारा गैर अनुपिस्थिति का कारण समझाया गया है। यह

सच है कि जमानत देने के आदेश में कोई विशिष्ट शर्त नहीं थी। वस्तुतः जमानत रदद करने की याचिका मे प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह बताया है कि जमानत देते समय कोई शर्त नही लगाई गई थी इस मायिने मे अपीलार्थी सही है की उच्च न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्वक यह पाया गया की जमानत की शर्तो का उलंघन हुआ। कोई विशेष शर्त नही लगाई गई थी, यह प्रत्यर्थी संख्या 1 की शिकायतों मे से एक थी। भले ही कोई शर्त विशेष रूप से निर्धारित नही की गई हो,तो भी अभियुक्त द्वारा जमानत पर रहते हुये सबूतो के साथ छेड़छाड़ नही की जानी चाहिए। आक्षेपित आदेश मे इस संबंध मे कोई विशेष टिप्पणी नही है। जमानत का रद्दीकरण सामान्य क्रम मे नही किया जाना चाहिए। जहां वरिष्ठ न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि जमानत देने वाले न्यायालय द्वारा अप्रासंगिक सामाग्री पर कार्य किया गया या न्यायिक विवेक का प्रयोग नही किया गया, अथवा जमानत देते समय किसी वैधानिक प्रतिबंध पर ध्यान नही दिया गया। वहाँ जमानत रद्द करने का आदेश दिया जा सकता है । ये परिस्थितिया उदाहरणात्मक है और सम्पूर्ण नही है।जमानत रद्द करने के आवेदन पर विचार करने वाले न्यायालय को सभी प्रासंगिक पहलुओ पर ध्यान देना होगा। इस मामले व परिस्थितियो मे जमानत रद्द करने के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को पुनः उच्च न्यायालय भेजना उचित है । (पैरा 8)

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 768/2007.

2006 के आपराधिक याचिका संख्या 780 मे पारित बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आदेश दिनांक 25.04.2006 से।

अपीलार्थी कि ओर से अभिषेक कुमार और विभाकर मिश्रा।

प्रत्यर्थीगण की ओर से शिवाजी एम.जाधव राज्य की ओर से आर.के. एडश्योर।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ. अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति।

1. अनुमति दी गई।

2- इस अपील मे बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है,जिसमे उसने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (संशेप मे 'संहिता' की धारा 439(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करके अपीलार्थी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया।

3- अपीलार्थी द्वारा संक्षेप मे प्रस्तुत किए गए तथ्य इस प्रकार है:

4- 4 फरवरी, 2006 को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई, जिसमें उसने आरोप लगाया कि अपीलार्थी एवं कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर व उसके दोस्त गिरीश शेट्टी पर हमला किया। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चोटें आईं। अपीलार्थी को 4 फरवरी, 2006 को गिरफ्तार किया गया। उसने एक जमानत याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 10 फरवरी, 2006 के आदेश द्वारा अतिरिक्त मेट्रो पॉलिटन

मजिस्ट्रेट, चतुर्थ न्यायालय गिरगांव मुंबई ने निर्देश दिया कि 10,000/- रूपये की राशि की जमानत प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाए। अपीलार्थी के अनुसार प्रत्यर्थी सं. 1 इससे खुश नहीं था और अपीलार्थी को डराना चाहता था, और इसलिए विभिन्न अवसरों पर उसने उसे धमकी दी। अपीलार्थी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और दिनांक 21 फरवरी, 2006 को उनकी शिकायत एनसी शिकायत के रूप् में दर्ज की गई। पुन: 4 अप्रेल, 2006 को प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपीलार्थी को धमकी दी गई। तत्पश्चात् 19 अप्रेल, 2006 को अपीलार्थी को वीपी रोड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के माध्यम से जरिये नोटिस जमानत रदद करने के लिए एक आवेदन से संबंधित जो कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में आपराधिक आवेदन संख्या 780/2006 के रूप में दर्ज किया गया था। बाम्बे उच्च न्यायालय अपीलाथीर् के अनुसार, वह उस तारीख को उपिस्थत था। सुनवाई के लिए नियत तारीख यानी 24 अप्रेल, 2006 को उपस्थित था। उसका मामला आईटम सं. 52 के रूप में न्यायालय कक्ष सं. 9 में सूचीबद्ध किया जा सकता है और इसिलए वह शाम लगभग पांच बजे तक केवल 30 मामलों की सुनवाई हुई थी। अदालत के एक अधिकारी से पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि उसका मामला अगले सप्ताह सूचबद्ध किया जा सकता है और इसलिए वह शाम करीब 5.15 बजे अदालत परिसर से चला गया। 25 अप्रेल, 2006 विवादित आदेश उसके खिलाफ पारित कर दिया गया। वस्तुत: अदालत के एक कर्मचारी के कथन का विश्वास कर अपीलार्थी द्वारा एक अधिवक्ता नियुक्त किया गया, जिसने

28 अप्रेल, 2006 को रजिस्ट्री में पूछताछ की और उसे बताया गया कि आदेश दिनांकित 25 अप्रेल, 2006 द्वारा अपीलार्थी की जमानत रद्द कर दी गई।

5- अपील के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान वकील ने जाहिर किया कि यह भारतीय दण्ड संहिता संक्षेप में आईपीसी की धारा 324 के तहत् तथाकथित दण्डनीय अपराध कारित किए जाने से जुड़ा मामला है। प्रत्यर्थी सं. 1 का मामला ऐसा प्रतीत होता है, जो कि धारा 307 आईपीसी के तहत् दर्ज किया जाना चाहिए, भले ही तर्कों के लिए यह मान भी लिया जाए कि ऐसा है, प्रत्यर्थी सं. 1 और उसके दोस्त को लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए जमानत देने से इंकार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए न्यायालय द्वारा सही प्रकार से जमानत दी गई। किसी भी स्थिति में विद्वान न्यायाधीश ने जमानत रद्द करने का कोई कारण नहीं बताया है। जमानत देते समय विचारण न्यायालय द्वारा कोई शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। आश्चर्यजनक रूप से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया है और जमानत पर रिहा होने के बाद शिकायतकर्ता को धमकी दी है। तथ्य इसके विपरीत इशारे करते हैं। वस्तुतः अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा दी गई धमकियों के बारे में पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

6- जवाब में, महाराष्ट्र राज्य के विद्वान अधिवक्ता के और शिकायतकर्ता ने कथन किया है कि यद्यपि जमानत होने के आदेश में इसे

विशेष रूप से वर्णित नहीं किया गया, लेकिन प्रत्येक जमानत अनुवान में यह अंतर्निहित है कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा, चूंकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को धमकी दी है, इसलिए जमानत रदद करना उचित है।

7- विद्वान एकलपीठ का आवेश, जहां तक प्रासंगिक है, इस प्रकार हैं:-

3. यह जाहिर किया गया है कि हालांकि धारा 307 के तहत् दंडनीय अपराध स्पष्ट रूप से किया गया था, वीपी रोड पुलिस स्टेशन ने आईपीसी की धारा 324 सपठित धारा 34 का अपराध दर्ज किया। यह आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद उसने प्रार्थी को धमकी देना शुरू कर दिया और उसे सूचित किया कि अगर उसने शिकायत वापस नहीं ली, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। प्रत्यर्थी सं. 1 के जमानत पर रिहा होने के बाद वर्तमान आवेदन द्वारा 2 एनसी शिकायत की गई।

4. नोटिस जारी किया गया व वी.पी. रोड पुलिस स्टेशन के माध्यम से प्रत्यर्थी को नोटिस तामील कराये जाने की अनुमति दी गई।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक, जो कार्यालय आदेशों के अंतर्गत मौजूद है, ने जाहिर किया है। प्रत्यर्थी सं. 1 को 19 अप्रेल, 2006 को तामील कराई गई थी और इस न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट पर उसके हस्ताक्षर प्रास्त किए गए थे। फिर भी, प्रत्यर्थी सं.1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप निचली अदालत द्वारा दी गई

जमानत को रदद करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसमें अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन नहीं किया और जमानत पर रिहा होने के बाद शिकायर्ता को धमकी दी है।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने जमानत रदद करने के आवेदन की सुनवाई के समय अपीलार्थी के उपस्थित होने पर अपवाद लिया है। अपीलार्थी द्वारा उपस्थित नहीं होने का दावा बताया गया है। यह सत्य है कि जमानत देने के आदेश में किसी भी शर्त का कोई विशेष प्रावधान नहीं था। दरअसल, जमानत रदद करने की याचिका में प्रतिवादी गब्बर ने कहा है कि जमानत देते समय कोई शर्त नहीं लगाई गई थी। इस अर्थ में अपीलार्थी सही है कि उच्च न्यायालय ने गलती से कहा है कि जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया था। जमानत की कोई विशिष्ट शर्त नहीं लगाई गई थी। यह प्रत्यर्थी सं. 1 की शिकायत में से अब अब भी प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह सही कहा है कि भले ही कोई शर्त विशेष रूप से निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जमानत पर रहने के दौरान आरोपी को सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।

9. मामले की परिस्थितयो में, हम रिमांड को उचित समझते है आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में मामला जमानत रदद करना। अनावश्यक देरी से बचने के लिए पक्षकार 14 जून] 2007 को संबंधित न्यायालय के समय उपस्थित रहे। उच्च न्यायालय के

विद्वान मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि मामले को उपयुक्त न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाने के निर्देश दे।

10- इस न्यायालय द्वारा 12 मई 2006 का अंतरित आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि मामले का उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से निपटारा नहीं किया जाता। यह स्पष्ट है किया जाता है कि यह निर्देश देने से यह नहीं समझा जाएगा कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त की है।

11- तद्नुसार विवादित आदेश अपास्त किया जाता है ओर अपील उपयुक्त सीमा तक अनुमत की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुनील मीना,(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।